Panchayati Raj
पंचायतीराज

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

उत्तराखण्ड सरकार

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में ग्राम पंचायतों के कर्तव्य एवं दायित्व

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135-2607106

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंर्तगत प्रत्येक ग्राम पंचायत एक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्य प्रणाली को स्थापित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य गांव को कूड़ा मुक्त करना है जिससे आसपास के वातावरण (पारिस्थतिकीय तंत्र) को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाया जा सके। प्लास्टिक ठोस कूड़े का अवयव है, किन्तु इसके प्रबन्धन के लिए अलग नियमों का प्रावधान किया गया है।

1– कूड़ा प्रबन्धन कार्यक्रम के उद्देश्य

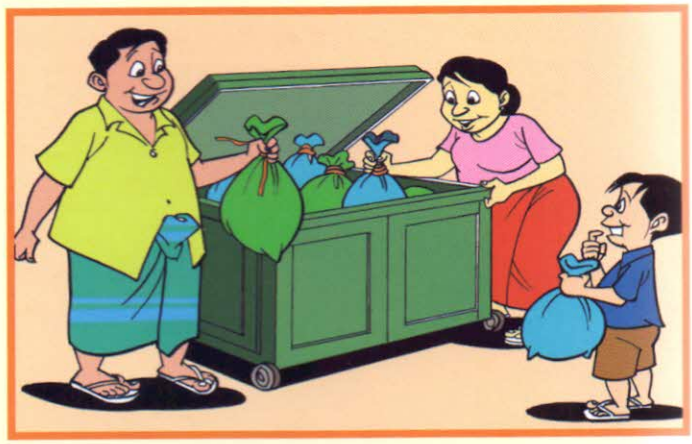

- कूड़े को सुनियोजित तरीके से निस्तारित करना।
- वातावरण को दूषित होने एवं गन्दगी से होने वाली बीमारियों से बचाना।
- जैविक एवं अजैविक कूड़े के बारे में आम जनमानस में जानकारी का प्रसार एवं जन जागरूकता बढ़ाना।
- जनसहभागिता के आधार पर पंचायतों में कार्ययोजना तैयार करना।
- ग्राम पंचायत स्तर एवं कलस्टर स्तर पर कूड़ा प्रबन्धन की प्रणाली विकसित करना।

2– कूड़ा प्रबन्धन से होने वाले लाभ एवं कूड़ा प्रबन्धन न होने से नुकसान :

कूड़ा प्रबन्धन के लाभ	कूड़ा प्रबन्धन न होने से नुकसान
• आसपास का वातारण स्वच्छ बना रहता है। • यात्रा मार्ग से जुड़ी पंचायतों में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। • बच्चों, बुजर्गो, महिलाओं एवं पुरूषों में होने वाले विभिन्न बीमारियों से मुक्ति। • ग्राम व परिवार स्वच्छ रहेगा तो पर्यावरण स्वच्छ होगा। • जैविक कूड़े के प्रबन्धन से जैविक खाद की प्राप्ति। • अजैविक कूड़े से आय की प्राप्ति व संसाधन का सम्वर्धन। • राष्ट्रीय ऊर्जा का संरक्षण । • व्यवस्थित गांव का परिवेश। • जिम्मेदार नागरिकों व बच्चों का विकास और निर्माण।	• कूड़े के ढेरो से मानवीय स्वास्थ्य प्रभावित होता है व बीमारियों का खतरा बना रहता है। • गांव के आसपास कूड़े के ढेर होने से पशु एवं पक्षियां प्लास्टिक खा लेते हैं जिससे पशुओं एवं पक्षियों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। • कूड़े के प्रदूषण का विशेषकर प्लास्टिक का सदियों तक प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। • कूड़े को जलाने पर दो तरह के अपशिष्ट उत्पन होते हैं – पहला, जहरीली गैसें, जो वायु मंण्डल को प्रदूषित करती हैं व राख जिसमें भारी धातुयें होती हैं। इससे मिट्टी प्रदूषित होती है। • कूड़े को गड्डे में दबाने से भूमिगत जल प्रदूषित होता है वहीं जल में प्रवाहित करने से, जल में रहनें वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। • वातावरण स्वच्छ न होने से पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कूड़ा प्रबन्धन कर स्वच्छता को अपनायें, भारत के बदलते स्वरुप की मुहिम में अपने को भागीदारी बनायें।

3–कूड़ा प्रबन्धन के लिए क्या करें।

- घर में ही जैविक/गीला एवं अजैविक/सूखा कूड़ा अलग – अलग करें।
- अजैविक कूड़े को निर्धारित स्थान पर ही डालें।
- अपने – अपने घरों के आसपास नाडेप/वर्मी कम्पोस्ट पिट तैयार करें, तथा जैविक कूड़े से जैविक खाद बनायें।
- पके व बचे हुए भोजन को पशुओं को खिलाएं।
- कूड़ा प्रबन्धन के लिए ग्राम पचांयत द्वारा बनाये गये नियम एवं प्रावधानों का पालन करें।
- ग्राम पंचायत को कूड़ा प्रबन्धन के लिए कार्य करने में सहयोग दें।
- कूड़ा प्रबन्धन के लिए एक निश्चित स्थान का चयन करें।
- रेखीय विभागों के साथ मिलकर कूड़ा प्रबन्धन के लिए कार्य करें।

4–कूड़ा प्रबन्धन के लिए क्या न करें।

- बाजार से फल,सब्जियां एवं अन्य सामग्री लाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें।50 माइक्रोन मोटाई से कम थैलियां प्रतिबंधित हैं।
- कूड़े को इधर उधर नहीं फैलाएंगे जिससे सार्वजनिक स्थानों,नालियों,जलाशयों व पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखा जा सके।
- कूड़े का अधिक उत्पादन न करें।
- वर्मी कम्पोस्ट एवं नाडेप पिट में पके हुये भोजन को न डाले ।
- कूड़े को किसी भी अवस्था में जलाये नहीं।
- कूड़े को छुपायें नहीं बल्कि कूड़े का पूर्णत: निस्तारण करें।

5– अपशिष्ट प्रबन्धन में ग्राम पंचायतों के कर्तव्य :

- प्रत्येक ग्राम सभा एक ऐसे तंत्र को प्रभावी रुप से विकसित करेंगी जिससे घरों, संस्थानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों से ठोस एवं प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया जा सके।
- इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम पंचायत वार्षिक योजना के साथ एक ठोस अपशिष्ट योजना का निर्माण करेंगे जिससे ग्राम पंचायत के अधीन 100 प्रतिशत क्षेत्र को कूड़ा प्रबन्धन का लाभ पहुंचाया जा सके।
- ग्राम पंचायतें स्रोत पर ही कूड़े को अलग–अलग घटकों अर्थात गीला व सूखा कूड़ा जिसमें प्लास्टिक शामिल हैं, को पृथक करायेंगी व उनका एकत्रीकरण सुनिश्चित करेंगी।
- ग्राम पंचायतें ठोस अपशिष्ट से पुर्नचक्रण वस्तुओं का संग्रहण करेंगी व गांव की क्षमता के अनुरुप संग्रहण स्थल का निर्माण करेंगी।
- ग्राम पंचायतें अपने स्रोत से कूड़ा प्रबन्धन के लिए अवसंरचना तंत्र बनायेंगी जिसका प्रबन्धन व हथालन (हेडलिंग) उनके द्वारा सुनिश्चित किया जा सके।
- नियमों के अनुरुप ही अपशिष्ट उपचार हेतु तकनीकों को अपनाऐंगे व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

स्वच्छता है हमारी पहचान, गांव, गली, मुहल्लों में सबके पास हो कूड़ा निरस्तारण का प्लान ।

- ग्राम पंचायतें उपयोग शुल्क की राशि तय करेंगे व उसका एकत्रीकरण स्वयं करेंगे।
- ग्राम पंचायतें स्वयं सहायता समूह, महिला एवं युवक मंगल दल, आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्त्रियों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यक्रम में एकीकृत करके घर–घर से कूड़ा संग्रहण में सहयोग करेंगे।
- ग्राम पंचायतें ऐसे तंत्र का विकास करेंगी जिससे पुर्नचक्रणीय अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक पद्वति से किया जा सके।
- ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में 50 माइक्रोन अर्थात 0.5 मी.मी से कम प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबन्ध लगाएंगी।

6–कूड़ा प्रबन्धन में स्वच्छकारों की भूमिका

- प्रत्येक दिन प्रातः 7 से 9 बजे तक प्रत्येक घर से कूड़ा उठाना।
- जैविक एवं अजैविक कूड़े को अलग–अलग करना।
- अजैविक कूड़े को संग्रहण केन्द्र तक पहुँचाना व विक्रय योग्य कूड़े को अलग करना ।
- यदि किसी कारणवश स्वच्छक उपस्थित नहीं है तो उसके लिए दूसरे स्वच्छक की व्यवस्था सुनिश्चित करना और उसकी सूचना ग्राम प्रधान को आवश्यक रूप से देना।
- घर–घर तक पृथक्करण पर बल देना व मिश्रित कूड़े को न उठाना।

ग्राम पंचायत स्तर पर कैसे शुरू करें अपशिष्ट प्रबन्धन ?

(1) प्रथम चरण : तैयारी

(1) ग्राम पंचायत की बैठकः ग्राम प्रधान, उप प्रधान व चुनें हुए प्रतिनिधियों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाए जिसका लेखा जोखा ग्राम सचिवों द्वारा रखा जायेगा जिससे एक वर्ष में गांव को कूड़ा मुक्त किया जा सके।

(2) ग्राम सभा की आम बैठक : ग्राम सभा द्वारा उपरोक्त विषय में स्वच्छ गांव हेतु चर्चा की जाएगी व ऐसे कदम उठाये जाएं जिससे कूड़ा कम से कम जनित हो, जैसे :

(अ) कपड़े के थैले का प्रयोग करना जिससे प्लास्टिक थैलियों का कम से कम प्रयोग होगा।

(ब) चाय की दुकानों पर स्टील के ग्लास ही उपयोग में लाए जाएं।

(स) ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा को स्वच्छ बनाने के लिए अन्य नियम एवं प्रावधान बनाये जाएं।

(3) सामुदायिक शिक्षा : प्रत्येक ग्राम पंचायतों में गृह स्वामी, स्कूली बच्चें,चाय बेचने वाले, स्वयं सहायता समूह, आशा, आंगनवाड़ी, दुकानदार आदि को संगठित करके उनको अपशिष्ट के प्रकार व उपचार से परिचित कराना, उसके निस्तारण की विधि को समझाना व उन्हे अपनाने के लिए प्रेरित करना।

(4) अनियंत्रित कूड़ा स्थलों की पहचान : सामान्यतः सड़कों के कोने, घरों के बीच खाली भूमि, कूड़े के डंप के रूप में देखें जाते हैं। एक बार

जहां कूड़ा फेंकना प्रारम्भ होता है वहां कूड़ा स्थल बन जाता है। ऐसे स्थलों को चयनित कर कूड़ा डालने पर प्रतिबन्ध लगाना।

(5) समुदाय स्तर पर तैयारी : प्रत्येक परिवार के पास एक कूड़ादान होता है। ग्राम पंचायतों द्वारा सूखे कूड़े हेतु एक एल.डी.पी.ई. का थैला प्रत्येक परिवार को मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस थैले में सूखा कूड़ा संग्रहित किया जाएगा। गीले कूड़े को दैनिक रूप से उठाया जाएगा व कम्पोस्टिकरण किया जाएगा, वहीं सूखे कूड़े को सप्ताह में दो दिन यानी बुधवार व शनिवार को एकत्रित किया जायेगा। इस क्रिया से कूड़ा मिश्रित नहीं होगा। इस कूड़े को संग्रहण स्थल पर एकत्रित किया जाएगा व कूड़ा बिनने वालों को ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा। अपशिष्ट की अधिक मात्रा होने पर या क्लस्टर आधार पर कॉम्पैक्टर को स्थापित करके कूड़े का पुर्नचकण किया जायेगा ।

(6) सूचना प्रचार व प्रसार :

ग्राम पंचायतों द्वारा कूड़ा प्रबन्धन की जानकारी से जुड़े पम्पलेट सभी हितधारकों को वितरित करना।

- **विद्यार्थियों की सहभागिता :** स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कूड़े का पृथकीकरण कैसे हो इसका प्रचार वह सुगमता से प्रत्येक घर तक पहुँचा सकते हैं। निबन्ध व पेंटिग प्रतियोगिता द्वारा एक स्वच्छ गांव की परिकल्पना को प्रदर्शित कर सकते है।

- **सांस्कृतिक कार्यक्रम :** प्रायः गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। कार्यक्रम के बीच में ग्राम प्रधान कूड़े के प्रबन्धन के विषय में गांव वालों को जानकारी दे सकते हैं। इससे क्षमता विकास को बल मिलता है।
- **व्यक्ति से व्यक्ति सम्पर्क :** वर्ष के महत्वपूर्ण दिनों पर स्कूली बच्चे ग्राम प्रधान के नेतृत्व में घर–घर जाकर गीले व सूखे कूड़े के विषय में जानकारी दे सकते हैं और कूड़ा पृथकीकरण के उपयोग के बारे में बता सकते है।
- **ठोस अपशिष्ट पर एस.एम.एस.के माध्यम से जानकारी :** ग्राम प्रधान द्वारा सभी ग्रामवासियों को मोबाइल के माध्यम से एस.एम.एस. से भी जन जागरूकता बढ़ायी जायेगी, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक परिवार के सदस्यों तक अपशिष्ट प्रबन्धन के बारे में सुगमता से बताया जा सकता है।
- **शिक्षाप्रद सूचना :** स्वच्छकों द्वारा भी गृह स्वामियों को कूड़ा पृथकीकरण की जानकारी सुविधा जनक तरीके से दी जा सकती है।
- **स्वच्छता अभियान :** गांव को स्वच्छ करने हेतु व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा सकता है जिसमें समस्त ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके फलस्वरूप उन्हें कूड़े के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त होगी।
- **पुरस्कार योजना :** ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वच्छ गृह व परिसर जो कूड़ा प्रबन्धन को पूर्णतः अपनाएंगे उनके लिए ग्रीन होम का स्टीकर प्रदान किया जाएगा व गांव वासियों को समय समय पर पुरस्कार दिए जायेंगे जिससे उनका उत्साह बना रहे।

(2) दूसरा कदम : योजना

(1) गांव का सर्वेक्षण : यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें घरों, चाय की दुकानों, ढाबे, सब्जी व मछली की दुकानें, मंदिर, स्कूल, बस स्टैन्ड आदि पर जनित कूड़े का आंकलन किया जा सकेगा कि कितनी मानव शक्ति, उपकरण आदि की इस प्रक्रिया में आवश्यकता होगी। भौतिक सत्यापन से ही कूड़े के प्रबन्धन की योजना तैयार की जा सकेगी।

(2) वस्तुगत योजना : इसका उद्देश्य उपकरण व आवश्यक वस्तुऐं जैसे दस्ताने, मास्क, बरसाती, पानी की बोतल, फर्स्ट एड किट, कंपोस्ट पिट, पृथकीकरण शेड आदि का प्रबंधन करना है।

(3) मानवशक्ति योजना : व्यावहारिक रूप से प्रत्येक 100 घरों पर दो स्वच्छकों को लगाना आवश्यक है। इनका कार्य घर–घर से कूड़े को उठाने व उपचार स्थल तक ले जाना है। प्रात: 7 से 9 बजे तक घरों से कूड़े को उठाना आवश्यक है। इसके पश्चात दुकानों व संस्थानों से कूड़े का उठान किया जाएगा। स्वच्छक कंपोस्ट स्थल तक गीले कूड़े को ले जाएगें व सूखे कूड़े को पृथ्थकीकरण शेड में अवयवों के आधार पर बोरों में भरेंगे। इस कार्य में ऐसे व्यक्तियों का चयन होना चाहिए जिन्हें कार्य की आवश्यकता हो व कूड़े को उठाने में संकोच न हो। स्वच्छकों का चयन सावधानी से करना होगा जिससे इन्हें बार–बार बदलना ना पड़े।

(4) तकनीकी योजना : इसके अन्तर्गत कंपोस्ट पिट का माप व कूड़े पर आधारित परिमाण के अनुसार करना होगा। पृथ्थकीकरण शेड का निर्माण कम्पोस्ट स्थल के समीप ही हो जिससे जो सूखा कूड़ा मिश्रित हो गया हो उसे छांटा जा सके। कम्पोस्ट स्थल पर पानी की व्यवस्था आवश्यक है।

(5) वित्तीय योजना : इसके अंतर्गत कूड़ा प्रबन्धन में उपयुक्त उपकरण कम्पोस्ट पिट, पृथ्थकीकरण शेड का आंकलन, जो लगभग एक बार होगा, स्वच्छकों का मानदेय, खाद बनाने के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म जीवी घोल बार–बार खर्च होने वाले मद हैं। इसमें सर्वप्रथम व्यय पूंजीगत लागत है व दूसरा खर्च आवर्ती लागत (निरंतर खर्चा) है।

(3) तीसरा कदम : संगठित करना :

(1) मानव संसाधन : कूड़ा प्रबन्धन की सफलता अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य में नियमित रूप से कार्य करने में है। इस कार्य में लगे व्यक्ति स्वयं गांव से नहीं होते व दूर स्थित स्थानों से आते हैं। इसके अतिरिक्त इनको दिया जाने वाला मानदेय भी ग्राम पंचायत द्वारा तय किया जाना आवश्यक है। कार्यकुन की सफलता के लिए इनको आवासीय सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

(2) भौतिक सामग्री : ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए निम्न का होना आवश्यक है –

(क) उपचार हेतु जमीन
(ख) कंपोस्ट पिट व पृथ्थकीकरण शेड
(ग) प्रत्येक घर में कूड़ेदान व प्लास्टिक बैग
(घ) कूड़ा परिवहन के लिए भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त वाहन / संसाधन
(ड) दो व अधिक दो से अधिक स्वच्छक

(च) वर्दी – टोपी, दस्ताने, सीटी, झाड़ू आदि

(3) तकनीकी : पहला कूड़ा एकत्रित करने के उपकरण, दूसरा कूड़े के उपचार का प्रबन्धन व तीसरा सूखे कूड़े का पृथ्थकीकरण व विक्रय।

(4) वित्त का प्रबन्ध : पूंजीगत लागत के लिए स्वच्छ भारत मिशन से सहयोग लिया जा सकता है इसके अतिरिक्त मनरेगा व 14वें वित्त आयोग से भी सहायता ली जा सकती है, इसके अलावा विभिन्न संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर कॉरपोरेट सोशियल जिम्मेदारियों में भी वित्तीय संसाधन जुटाऐ जा सकते हैं। कम्पोस्ट व सूखा कूड़ा बेच कर इतनी आय नहीं जुटाई जा सकती है जो कार्यक्रम के लिए काफी हो। इसके लिए ग्राम पंचायतों को अन्य संसाधनों से वित्त जुटाना होगा।

(5) समन्वय : ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एक नियमित गतिविधि है, यदि चार दिनों के लिए भी इसमें रूकावट आती है तो सारे कार्यक्रम को पुन: प्रारंभ करना होगा। ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से सबसे समन्वय स्थापित करना होगा जिससे कूड़ा प्रबन्धन सुचारू रूप से चलता रहे।

(4) चौथा कदम– परिपालन :

(1) स्रोत पर पृथ्थकीकरण : समस्त ग्रामवासी व हितधारक कूड़े को स्रोत पर ही पृथक करेंगे। गीले व सूखे कूड़े को मिश्रित अवस्था में अलग–अलग करना संभव नहीं होता है।

(2) एकत्रीकरण : स्वच्छकों द्वारा नियमित रूप से गीला कूड़ा एकत्रित किया जाएगा व सूखा कूड़ा सप्ताह में दो बार। इस प्रक्रिया से कूड़ा मिश्रित नहीं हो पाएगा।

(3) उपचार एवं प्रसंस्करण : गीले कूड़े को कम्पोस्ट गड्डे में डाला जाएगा व उपचारित किया जाएगा। सूखे कूड़े को पृथ्थकीकरण शेड में एकत्रित कर के विभिन्न घटकों जैसे कागज,प्लास्टिक, धातु, व कांच को पृथक करके बोरों में रखा जाएगा। इन संसाधनों का विक्रय कर पंचायत की आय बढ़ाई जाएगी।

(5) पाँचवा कदम : नियमित नियंत्रण व सुधार :

(1) गृह स्तर पर : प्रत्येक गृह स्वामी को अपना कूड़ा पृथक करना होगा। प्रारम्भ में समस्या आ सकती है, किन्तु धीरे–धीरे इसकी आदत पड़ जाती है।

(2) गृह स्वामियों से प्रतिक्रिया : प्रत्येक परिवार के मुखिया के पास स्वच्छक का मोबाइल नम्बर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे उसके नियमितीकरण पर निगाह रखी जा सके।

(3) स्वच्छकों से प्रतिक्रिया : ग्राम प्रधान स्वच्छकों से भी प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे जिससे प्रत्येक परिवार के मुखिया को अपशिष्ट पृथक करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(4) भौतिक सत्यापन : ग्राम प्रधानों को सप्ताह में एक बार भौतिक सत्यापन भी करना होगा जिससे उसमें आ रही समस्या का समाधान किया जा सके। यहाँ याद रखना होगा कि कूड़ा प्रबन्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त ग्रामवासी एक तरह से सोचते हैं व भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

कौन सा अपशिष्ट किस पात्र में डालें

गीला/जैविक कूड़ा/ निर्धारितपात्र में डालें	सूखा/अजैविक/प्लास्टिक थैले में डालें
सब्जियों के छिलके	साबुन के रैपर
फलों के छिलके	खाली शैम्पू की बोतलें
बचा हुआ खाना	खाली सेंट/डियोडरेन्ट व शेविंग क्रीम की पैकिंग
चाय की पत्ती/ टी बैग	दूध की थैलियां
अंडों के छिलके	पायदान, टूथ ब्रश
सूखे फूल	चौकलेट,मक्खन,घी/तेल के डिब्बे/रैपर
खराब मसाले	कागज/कार्डबोर्ड/पौलीथीन/प्लास्टिक
घरेलू कूड़ा	श्रृंगार सामग्री व डिब्बियाँ
खराब डबल रोटी/ बिस्कूट	टूटे हुए पैन, शार्पनर
बाल	फर्श साफ करने के कैमिकल के डिब्बे
खर पतवार , गमलों की घास	कुरकुरे/लेज व अन्य चमकीली पन्नी
	जूते
	पानी व सोडा की बोतलें
	प्लास्टिक की टूटी हूई सामग्री
	ठंडा पेय के कैन व टिन
	दही व योगर्हट के प्याले
	एल्यूमिनियम पन्नी
	पुरानी झाड़ू का प्लास्टिक
	कागज के नैपकिन व टैट्रापैक
	फौम की गदि्याँ, चमड़ा, रैग्जीन, रबर
	धातुओं के टुकड़े/ काँच की बोतलें

नोट: पुरानी दवाईयाँ, सैनिटरी नैपिकन, डाइपर, पुरानी बैट्री, खराब बल्ब, ट्यूब लाइट सी.डी को अलग से संग्रहित करें।

" सैनिटरी नैपकिन व बच्चों के डाइपरों को कागज में लपेट कर अलग से निस्तारित करें। इन्हें कभी भी प्लास्टिक की थैलियों में भर कर निस्तारित न करें। "

Aisha Printing Press #0135-2650064

कदम से कदम मिलाके चलो, कूड़ा निस्तारण से पंचायतों की आय बढ़ाते चलो